

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अविनाश कुमार
सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/राँची/हजारीबाग
मुख्य अभियंता (यॉ०)/अग्रिम योजना, जल संसाधन विभाग
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी एवं एवं व्ययन
पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखंड।

राँची, दिनांक : 21-10-13

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2013-14 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन/ 07-मध्यम सिंचाई परियोजना	133.062

कुल आवंटित राशि -

रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख छः हजार दो सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट उपबंध ₹ 8806.84 लाख (अठासी करोड़ छः लाख चौरासी हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का वेतनादि या अन्य दायित्व का भुगतान बिना विभागीय अनुमति के नहीं किया जाय।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.

(मुक्ति साधन चौरसिया)
उप सचिव (अभि.)

(एस. क. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. यदि आवंटित गई राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं किया जायेगा।
9. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन को छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का तुरत प्रत्यर्पण कर दिया जाय।
10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 फरवरी 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :-

99

रॉची, दिनांक :- 21-10-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिन्डू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/देवघर/गुमला/साहेबगंज/गोड्डा/हजारीबाग/जामताड़ा/राजमहल/मधुपुर/पाकुड़ सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(अविनाश कुमार)
सचिव

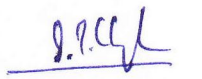
ज्ञापांक :-

99

रॉची, दिनांक :- 21-10-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग/ वेब सूचना प्रबंधक/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहा. अभि.


(मुक्ति साधन चौधरिया)
उप सचिव (अभि.)


(एस. के. सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


(अविनाश कुमार)
सचिव

मुख्य शीर्ष-2701-मध्यम सिंचाई/उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-07-मध्यम सिंचाई परियोजना पत्रांक 99 दिनांक 21-10-13 का अनुलनक मांग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

परिशिष्ट I

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष 2013-2014	कार्यालय का नाम	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्तों	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय										विस्तृत शीर्ष-04-मोटरवाहियां	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	राशि लाख रुपये में	
				वेतन	एल०टी०सी०	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरवाहियां मरम्मति एवं	विधि प्रसार			कुल योग	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	मुख्य अभियंता	पूर्व का आवंटन	88.500	0.000	0.200	0.700	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	90.550				
	जलसंसाधन विभाग, राँची	अतिरिक्त आवंटन	81.140	0.000	0.000	0.300	0.500	0.350	0.000	0.000	0.000	0.000	82.290				
		कुल आवंटन	169.640	0.000	0.200	1.000	0.500	0.500	0.000	0.000	1.000	0.000	172.840				
2	मुख्य अभि० यांत्रिक, राँची	पूर्व का आवंटन	18.000	0.000	0.782	0.700	0.000	0.150	0.000	0.000	1.000	0.000	20.632				
		अतिरिक्त आवंटन	20.000	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	21.200				
		कुल आवंटन	38.000	0.000	0.782	0.700	1.000	0.150	0.000	0.200	1.000	0.000	41.832				
3	सिंचाई अंचल, साहेबगंज	पूर्व का आवंटन	63.000	0.000	0.475	0.500	0.000	0.050	0.000	0.000	0.600	0.000	64.625				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.100	0.000	0.000	0.200				
		कुल आवंटन	63.000	0.000	0.475	0.500	0.000	0.150	0.000	0.100	0.600	0.000	64.825				
4	अग्रिम योजना प्र०, राँची	पूर्व का आवंटन	109.500	0.000	0.200	0.400	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	110.150				# कृपया foot note देखें।
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.161	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.161				
		कुल आवंटन	109.500	0.000	0.361	0.400	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	110.311				
5	जलपथ प्रमंडल, गुमला	पूर्व का आवंटन	213.000	0.000	0.523	0.400	0.000	0.050	0.000	0.250	0.000	0.100	214.323				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.234	0.000	0.000	1.234				
		कुल आवंटन	213.000	0.000	0.523	0.400	0.000	0.050	0.000	1.484	0.000	0.100	215.557				
6	जलपथ प्रमंडल सं. -1, वैनापुर शिविर गुमला	पूर्व का आवंटन	148.500	0.000	1.171	0.400	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	150.121				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.000	0.200				
		कुल आवंटन	148.500	0.100	1.171	0.400	0.000	0.050	0.000	0.100	0.000	0.000	150.321				
7	पुनर्वास पदाधिकारी, मध्यम सिंचाई परियोजना, राँची	पूर्व का आवंटन	87.250	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	88.450				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	0.000	0.150	0.600	0.000	0.250				
		कुल आवंटन	87.250	0.000	0.200	0.400	0.000	0.100	0.000	0.150	0.600	0.000	88.700				
8	विशेष भू-अर्जन पदा० तेनुघाट परियोजना, हजारीबाग	पूर्व का आवंटन	141.000	0.000	0.200	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	2.125	141.950				
		अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	2.125	2.625				
		कुल आवंटन	141.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	2.375	144.575				

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

उप सचिव (अभि०)

संयुक्त सचिव (अभि०)

विशेष सचिव

सचिव

वित्तीय वर्ष 2013-2014			विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते			विस्तृत शीर्ष-02-यात्रा व्यय		विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय							विस्तृत शीर्ष-04-मोटरगाड़ियां		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय		राशि लाख रूपये में	
क0 सं0	कार्यालय का नाम		वेतन	एल0टी0सी0	देशीय यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	आपूर्ति एवं सामग्री	दूरभाष	वर्दी	विद्युत व्यय	मोटरगाड़ियां इंधन एवं मरम्मति	विशि प्रभार	कुल योग	अभियुक्ति						
		विपत्र कोड	49N270103001 070101	49N270103001 070112	49N270103001 070213	49N27010300 1070315	49N27010300 1070323	49N270103 001070333	49N2701030 01070334	49N270103 001070337	49N270103001 070442	49N2701030 01070760								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
9	विशेष भू-अर्जन पद0, देवघर		118.500	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	119.700							
			5.500	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.500							
			कुल आवंटन	124.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.000	0.000	0.600	0.000	125.200							
10	सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महगामा		150.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	150.650							
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.212	0.000	0.000	0.212							
			कुल आवंटन	150.000	0.000	0.200	0.400	0.050	0.000	0.212	0.000	0.000	150.862							
11	सिंचाई प्रमंडल, जसीडीह		228.000	0.000	0.200	0.400	0.000	0.050	0.000	0.000	0.300	0.000	228.950							
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.150	0.000	1.000	0.300	0.000	1.450							
			अतिरिक्त आवंटन	228.000	0.000	0.200	0.400	0.200	0.000	1.000	0.600	0.000	230.400							
12	सिंचाई प्रमंडल, बड़हरवा		139.500	0.000	0.200	0.400	0.000	0.050	0.000	0.000	0.000	0.000	140.150							
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.100	13.890							
			अतिरिक्त आवंटन	13.490	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.300	0.000	0.100	13.890							
13	सिंचाई प्रमंडल, सिकटिया		152.990	0.000	0.200	0.400	0.000	0.050	0.000	0.300	0.000	0.100	154.040							
			0.000	0.000	0.957	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	128.587							
			अतिरिक्त आवंटन	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000							
			कुल आवंटन	130.130	0.000	0.957	0.400	0.000	0.000	0.000	0.000	0.100	131.587							
14	सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, देवघर		192.000	0.000	0.939	0.400	0.000	0.050	0.000	0.250	0.600	0.000	194.239							
			0.000	0.000	0.000	0.000	0.250	0.200	0.000	0.000	0.400	0.000	0.850							
			अतिरिक्त आवंटन	192.000	0.000	0.939	0.400	0.250	0.000	0.250	1.000	0.000	195.089							
			कुल आवंटन	192.000	0.000	0.939	0.400	0.250	0.000	0.250	1.000	0.000	195.089							
			अतिरिक्त आवंटन का योग	123.130	0.100	0.161	0.500	0.900	0.000	3.296	1.000	2.225	133.062							

नोट: वित्त विभाग के पत्रांक 11/विविध-14/2010-69/बजट दि० 11.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.10.2012 तक का बकाया शून्य मानते हुए नये सिरे से बिपत्रीकरण के आधार पर ही भुगतान अनुमान्य है।

देशीय यात्रा व्यय मद में ₹0 0.161 लाख सरजु बेदिमा, सेवानिवृत्त जीप चालक के एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान एवं पैकिंग भत्ता हेतु।

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि- रुपये एक करोड़ तैतीस लाख छः हजार दो सौ मात्र

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

(सुरेश प्रसाद भगत)

21.10.13